तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/18	वकील प्रार्थी उप० । अप्रार्थी सं. 1 को अरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 26/4/2018 को पेश हो । [signature] अति० जिला कलेक्टर, पाली	
26/4/2018	वकील प्रार्थी उप० । पूर्व आदेशानुसार पालना होकर पत्रावली दि० 2/5/2018 को पेश हो । [signature] अति. जिला कलेक्टर, पाली	
2/5/2018	वकील प्रार्थी उप० । नियत तारीख पेशी पर अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई PF नोटिस पेश किये अतः तलबी जारी हो । पत्रावली दि. 26/5/2018 को पेश हो । [signature] अति० जिला कलेक्टर, पाली	726 / 7/5/18
26/5/18	वकील प्रार्थी उप० । अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस बाद तामील नहीं लौटे है । अतः इन्तजार हो । पत्रावली दिनांक 24/5/2018 को पेश हो । [signature] अति० जिला कलेक्टर, पाली	
30.05.2018	पत्रावली आज नियत तारीख पेशी से पूर्व राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सोजत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष ने निवेदन जैर निगरानी वादस्थ भूमि प्रार्थी एवं रेसपोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है, जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी हो चुका है, जो विधि विरूद्ध है। अतः ग्राम पंचायत गागुडा द्वारा जारी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा खारिज किया जाता है, तो पक्षकारान को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा लोक अदालत की भावना से प्रकरण के निस्तारण हेतु सहमत है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत	अनि. [illegible] प्रार्थी [illegible] [signature] धनाराम [signature]

[signature] अति० जिला कलेक्टर, पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामील में जारी हुए
	गागुडा द्वारा मिसल संख्या 26/2006–07, संकल्प संख्या 04 दिनांक 06.03.2007 एवं उसकी पालना में सुखराम पुत्र शिवनाथराम देवासी निवासी गागुडा के नाम जारी पट्टा संख्या 4540 दिनांक 06.03.2007 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत गागुडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। अति. जिला कलक्टर, पाली अति० जिला कलक्टर, पाली	